

फा.सं.7-2/(आरटीआई)-एसडीडीएस-अ.सा.

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता किसान कल्याण विभाग
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(एसडीडीएस प्रभाग)

540 कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 30 जुलाई, 2020

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन।

कृपया दिनांक 27.07.2020 को आरटीआई सेल के माध्यम से प्राप्त पंजीकरण संख्या डीओईएस/आर/टी/20/00073 वाले दिनांक 23.07.2020 के अपने आरटीआई आवेदन का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मद संख्या 1 से मद संख्या 3 के संबंध में सूचना मांगी गई है। इस संबंध में यह बताया जाता है कि केवल मद संख्या 3 इस विभाग से सम्बंधित है।

2. उपर्युक्त संदर्भ में यह कहना है कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) का एसडीडीएस प्रभाग देश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नामित राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकारियों (एसएएसए) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर जिला-वार/राज्य-वार भू उपयोग सांख्यिकी (एलयूएस) का संकलन और प्रसार करता है जिसके तीन भाग हैं: (i) भू उपयोग का वर्गीकरण (जिसमें वन-क्षेत्र, कृषि से इतर उपयोग के अधीन क्षेत्र, बंजर और अकृष्य भूमि, स्थाई चारागाह और अन्य चराई भूमि, विविध वृक्ष फसलों आदि के अधीन भूमि, कृषि योग्य बेकार भूमि, वर्तमान परती के अलावा अन्य परती भूमि, वर्तमान परती भूमि, निवल बुआई क्षेत्र शामिल हैं), (ii) सिंचित क्षेत्र (स्रोत-वार और फसल-वार), तथा (iii) फसलों के अधीन क्षेत्र।

3. इस संदर्भ में यह बताया जाता है कि यह प्रभाग वर्ष 1950-51 से अखिल भारतीय भूमि उपयोग सांख्यिकी आंकड़े रखता है और वर्ष 1950-51 और 2015-16 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए भारत में स्थाई चारागाह और अन्य चराई भूमि के संबंध में सूचना क्रमशः 6675 हजार हेक्टेयर और 10261 हजार हेक्टेयर है। भूमि उपयोग सांख्यिकी परिभाषा के अनुसार स्थाई चारागाह और अन्य चराई भूमि में सभी चारागाह भूमि शामिल है चाहे वह स्थायी चारागाह/घास का मैदान हो अथवा नहीं। गांव की सामान्य चारागाह भूमि को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग सांख्यिकी पर अखिल भारतीय/राज्य-वार आंकड़े <https://eands.dacnet.nic.in/> से प्राप्त किये जा सकते हैं। अन्य पहलुओं पर आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना इस प्रभाग में नहीं रखी जाती है।

4. इसके अलावा, यह भी कहना है कि बाकी वर्षों के लिए राज्य-वार/ जिलावार एलयूएस के संबंध में आंकड़ों के संकलन और संपादन का कार्य चल रहा है और यह उचित समय पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगा।

5. इस उत्तर के विरुद्ध प्रथम अपील, यदि कोई हो, इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पी.संगीत कुमार, सलाहकार एवं अपीलीय प्राधिकारी कमरा संख्या 445 ए, कृषि भवन, नई दिल्ली (e-mail:advisersdds-agri@nic.in, दूरभाष संख्या 011-23382236) के समक्ष की जा सकती है।

(टी. त्रिवेणी)

आर्थिक अधिकारी(एसडीडीएस)

सेवा में,

श्री सुनील पाण्डे, 749, वसुंधरा, सैक्टर 15, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012

सूचनाथ प्रतिलिपी:

1. श्री रामेश्वर सिंह, सीपीआईओ,अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. तकनीकी निदेशक,एनआईसी, कमरा संख्या 341, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

Signature Not Verified

Digitally signed by T TRIVENI
Date: 2020.07.31 12:37:36 IST

